

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ 15(7)(6) / लाईट्स / विधि / आईसीडीएस / 17

जयपुर, दिनांक :

12-8574-920

11-7-18

1. समस्त उप निदेशक, मबावि।
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी वाद,.....मुख्यालय।

विषय:- विभागीय अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मबावि विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 03.07.2018

उपयुक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के क्रम में लेख है कि समस्त प्रभारी अधिकारियों को आवंटित विभिन्न न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध दायर न्यायिक प्रकरणों की सूचनाएँ न्याय विभाग की वेबसाईट पर निर्धारित प्रपत्रों में अपडेट करने हेतु बार-बार लिखने के उपरान्त भी न्यायिक प्रकरणों को आज दिनांक तक अपडेट नहीं किया गया है। उक्त कार्यवाही नहीं करने पर प्रमुख शासन सचिव, महोदया मबावि व राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईट्स एवं वरिष्ठ शासन उप सचिव, मबावि द्वारा गम्भीरता से लेते हुये तत्परित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने से संबंधित अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र करवाकर न्याय विभाग की वेबसाईट लाईट्स पर जवाबदावा प्रस्तुत करने का इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करावे।

उक्त निर्देशो का कठोरता से पालना करें अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेवारी आपकी मानते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जावेगा।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 15(7)(6) / लाईट्स / विधि / आईसीडीएस / 17) 28921

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि

11-7-18

1. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईट्स एवं वरिष्ठ शासन उप सचिव, मबावि, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक: प0 13(3)म.बा.वि. / 17

ADP / 10/11/18
10

जयपुर, दिनांक 03/07/18

1. निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधी नगर,
जयपुर-302015

RECEIVED
2600
9-7-18

2. आयुक्त,
महिला अधिकारिता,
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर-302004

13/5/18

विषय:-अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 03.05.2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 17.05.2018, 18.06.2018।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत न्याय विभाग द्वारा प्राप्त पत्र क्रमांक प. 2(2) सामान्य/न्याय/2018 दिनांक 11.06.2018 की छायाप्रति संलग्न कर अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा तत्काल प्रस्तुत कराने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करा कर की गई कार्यवाही से न्याय विभाग तथा इस विभाग को अवगत कराने हेतु लिखा गया था, किन्तु इस संबंध में की गई कार्यवाही से आदिनांक तक इस विभाग को अवगत नहीं कराया गया है।

अतः निर्देशानुसार पुनः लेख है कि कृपया उक्त संदर्भ में आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना न्याय विभाग को भिजवाते हुये, इस विभाग को अवगत कराने की व्यवस्था करावें।

भवदीय,

(N)

(एन.एल.जेवरिया)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।

11

वरिष्ठ शासन उप सचिव